न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00187

रामस्वरूप पुत्र श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी पारिलिया तहसील दीगोद हाल 1607, बसन्त विहार, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र पन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम पारलिया हाल निवासी मोती नगर, बोरखेडा कोटा ।
2. मोहन लाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा ।
3. जितेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा ।
4. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा ।
5. सुरेन्द्र पुत्र मोहन लाल जाति मीणा ।
6. मनीष पुत्र मोहन लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम पारलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 20.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए, एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डगारिया तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 184 की 3.44 हैक्टर

भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है । वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पन्ना लाल जी द्वारा अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि अपने तीनों पुत्र रामस्वरूप व अप्रार्थी कम 2 व 3 को दे दी जो तीनों के अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्त हैं व शेष अपने खाते में विवादित भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 3.44 हैक्टर भूमि रखी । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसका पन्ना लाल जी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी कम 2 व 3 के मध्य 1/3 – 1/3 हिस्से का बंटवारा कर दिया । पन्ना लाल जब तक जीवित रहेंगे तब तक उक्त भूमि उनके नाम रहेगी व उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 2 व 3 के 1/3 – 1/3 हिस्से में आयेगी । प्रार्थी व अप्रार्थी कम 2 व 3 अपने –अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थी कम 01 अपने हिस्से में आयी भूमि का बेचान कर चुका है । अप्रार्थी कम 4 से 7 अप्रार्थी कम 03 के पुत्र हैं । प्रार्थी को जानकारी मिली है कि अप्रार्थी कम 03 जो कि काफी वृद्ध व्यक्ति हैं जो चलने–फिरने में असक्षम व्यक्ति हैं का फायदा उठाकर पर उक्त भूमि को अप्रार्थी कम 04 लगायत 07 के पक्ष में वसीयत, दान, बेचान कराने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार है और वह अपने हिस्से 1/3 भूमि पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी कम 01 ने प्रार्थी व अप्रार्थी कम 2 व 3 को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं करवाया व खातेदार घोषित नहीं करवाया जिसका नाजायत फायदा उठाकर अप्रार्थी कम 01 उक्त भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी कम 3 से 7 के नाम रहन, बेचान, अन्तरण, वसीयत, दान कर दिया और प्रार्थी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को तथा उसके किसी भाग को रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी पर काश्त करने से नहीं रोके । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.02.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने दिनांक 30.12.2014 को अपने खिलाफ वाद कारण उपत्न्न होना बताया है तथा प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे व जवाब प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को आलेखित किया है कि पन्ना जी ने दिनांक 20.11.2014 को ही उप पंजीयक के यहॉ जाकर वसीयत मनीष के पक्ष में आलेखित करवा दी जबकि अपीलान्ट अपने वाद व प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित करके आया था कि रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित भूमि को अपने पक्ष में दान, वसीयत या बेचान करवा सकते हैं । यह तथ्य

अपीलान्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टया वाद को प्रबल बनाता है जबकि इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है । कोई भी व्यक्ति अपनी किसी सम्पत्ति की वसीयत करता है तो वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति आवश्यक होती है तथा बेनिफिशरी यदि उक्त वसीयत में एक्टिव पार्ट लेता है तो कानूनन यह माना जावेगा कि वसीयत संदेहास्पद है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया था कि अपीलान्ट के पिता पन्ना लाल ने अपने जीवनकाल में अपनी पुश्तैनी आराजी का बंटवारा अपने तीनों पुत्रों के मध्य कर आराजी खसरा नम्बर 184 की रकबा 3.44 हैक्टर आराजी अपने पास रखी थी । बाद में इस आराजी का भी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 1 और 2 के मध्य बंटवारा कर वास्तविक कब्जा संभला दिया था । पन्ना लाल जी काफी वृद्ध एवं बुजुर्ग थे उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 के नाम वसीयत एवं दान की संभावना को देखते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि पन्ना लाल ने वसीयत रेस्पोडेन्ट कम 06 मनीष के पक्ष में निष्पादित कर दी है उस पर भी प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में बनता है । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा समस्त सहखातेदारों की ओर से माना जाता है । वसीयत के निष्पादन में मनीष ने सक्रिय भूमिका अदा की है । वसीयत संदेह से परे प्रमाणित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से तक जारी किया जाना उचित था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अषील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । पिता ने स्वयं वसीयत निष्पादित की है । वसीयत का खण्डन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं जिसमें भी मिताक्षरा परिवार में पिता को अपने हिस्से की सीमा तक ही वसीयत करने का अधिकार है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें पन्ना लाल का हिस्सा सीमित है । वे सम्पूर्ण आराजी की वसीयत नहीं कर सकते ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पन्ना लाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 93 में कुल 02 किता की 2.48 हैक्टर आराजी मोहन लाल पुत्र पन्ना लाल के खाते में दर्ज है इसमें नामान्तररकण संख्या 359 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 140 में कुल 02 किता की 2.49 हैक्टर आराजी हीरालाल पुत्र पन्ना लाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 115 में कुल 05 किता रकबा 3.45 की आराजी रामस्वरूप पुत्र पन्ना लाल के खाते में दर्ज है । इसके अलावा एक पंजीकृत वसीयत की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है जो पन्ना लाल के द्वारा अपने खाते की आराजी के बाबत् मनीष कुमार के पक्ष में निष्पादित की गई है । पन्ना लाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है ।

12. पत्रावली पर जो दस्जावेजात संलग्न हैं उसके अनुसार पन्ना लाल के तन्हा खाते में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 3.44 हैक्टर दर्ज है । अपीलान्ट के कथन के अनुसार पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में ही आराजी का विभाजन कर दिया था और यह आराजी स्वयं के पास रखी थी और शेष आराजी अपने पुत्रों के खाते में दर्ज करवा ली थी । पन्ना लाल के खाते में विभाजन के उपरान्त जो आराजी दर्ज की गई है उसके बाबत् वसीयत विक्रय पत्र इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे परन्तु इस स्टेज पर यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट ने अपने पिता के जीवनकाल में ही उनके खाते में दर्ज आराजी के बाबत् यह दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त पन्नालाल की तन्हा खाते में जो आराजी दर्ज की गई है उसके बाबत् उन्हें वसीयत एवं दान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । मृतक पन्ना लाल ने अपने जीवनकाल में अपने खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 3.44 हैक्टर का कभी विभाजन किया हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलान्ट ने पेश नहीं किया और सम्पत्ति के विभाजन के फलस्वरूप पन्ना लाल के तन्हा खाते में जो आराजी दर्ज हुई है उसे पुश्तैनी आराजी नहीं कहा जा सकता । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है और न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा